

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 318 /2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956
अनवान

चांदु पत्नि खाना रेगर उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी तहसील
भीलवाडा (राजस्थान)

प्रार्थीया

बनाम

1. प्रभुलाल पिता रामस्वरूप महाजन उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी
2. लादु पिता देबी मीणा उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी
3. बद्री पिता देबी मीणा उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी
4. रतन पिता गोपाल सुथार उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी
5. देबी पिता नारायण कुम्हार उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी
6. बद्री पिता उगमा रेगर उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी
7. गोपाल पिता चन्द्रा रेगर उम्र वयस्क निवासी रासेड तहसील कोटडी
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक 28/03/12.....

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 30/11/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम रासेड, पटवार मण्डल रासेड, भू.अ.निरीक्षक बीरघोल, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 348 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 350 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 351 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 352 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 1615 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 1633 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल कीता 6 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता हैं। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक बीरघोल को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--: आदेश :-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम रासेड, पटवार मण्डल रासेड, भू.अ.निरीक्षक बीरघोल, तहसील कोटडी, जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 348 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 350 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 351 रकबा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 352 रकबा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 1615 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, आराजी संख्या 1633 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कुल कीता 6 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रुपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा